

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक-02/स्था०(विविध) -31/14 ज० सं०

रॉची, दिनांक :-

**शुद्धि पत्र**

विभागीय अधिसूचना सं०-5896 दिनांक 09.06.14 की कण्डिका-2 को विलोपित किया जाता है।

2. विभागीय अधिसूचना सं०-5896 दिनांक 09.06.14 की कण्डिका-3 में अंकित "मई-13" के स्थान पर "जून-14" पढ़ा जाय।

3. विभागीय अधिसूचना सं०-5896 दिनांक 09.06.14 के क्रम सं०-19 श्री कैलाश मिस्त्री के नाम के सम्मुख स्तम्भ 3 वर्तमान पदस्थापन स्थान कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग के स्थान पर कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा पढ़ा जाय।

4. विभागीय अधिसूचना सं०-5897 दिनांक 09.06.14 के प्रतिलिपि अंश के क्रमांक 2 में अंकित "कार्यपालक अभियंता" के स्थान पर "सहायक अभियंता" पढ़ा जाय।

5. विभागीय अधिसूचना सं०-5896 दिनांक 09.06.14 तथा 5897 दिनांक 09.06.14 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेगी।

ह०/

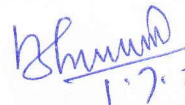
(विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 1653

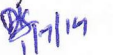
रॉची, दिनांक :- 03/07/14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/माननीया मंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पटना/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी मुख्य अभियंता/प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब०, 7यो०, एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
1.7.2014

(विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

  
11/7/14